

कार्यालय अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची

असूची 14-फारम सं० 562

आदेश - पत्रक  
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- ता०.....से.....तक

जिला- राँची । सीमांकन वाद सं० - 41 सन् 1918

केस का प्रकार - जमीन नापी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आवेदक और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
------------------------------------	---------------------------------	---

7.6.17

श्री/श्रीमती श्रीव टोपा पिता/प्रति अनारस टोपा  
ग्राम खरसादा थाना नामकुम जिला राँची, के द्वारा निनांकित भूमि  
की नापी हेतु आवेदन दिया गया है ।

जमीन का विवरण :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
<u>खरसादा</u>	<u>46</u>	<u>73</u>	<u>1.10.25</u>

संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदक की खरीदगी/खतियानी भूमि है। भूमि खाली/चाहरदीवारी के अन्दर है। आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी II में निर्मल टोपा के नाम से दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 15-16 तक निर्गत है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार भूमि से संबंधित मामला किसी न्यायालय में लंबित है/नहीं है। आवेदित भूमि की नापी हेतु अनुशंसा किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को आवेदित भूमि की नापी हेतु अमीन नापी शुल्क 1381/- अंचल नाजीर के पास जमा करने का आदेश दिया जाता है।

अभिलेख नं० दिनांक

को रवेव ।

[Signature]  
07/06/17  
अंचल अधिकारी,  
नामकुम

04/07/17

अभिलेख प्रस्तुत आवेदक के द्वारा अमीन नापी शुल्क 1381/-  
नाजीर रसीद सं० 315280 दिनांक 9/6/17 द्वारा जमा कर  
दिया गया है।

अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है आवेदित भूमि की दिनांक  
10-7-17 को नापी कर नापी प्रतिवेदन कार्यालय में दाखिल करें।


  
04/07/17


अंचल अधिकारी,  
नामकुम

11-7-17

कामिबंदर उपव्यापित। कंचल कमीश  
द्वारा नापी प्रतिवेदन समाप्त किया गया  
है। प्रतिवेदनानुसार मौजा खरसोदागा  
ग्राम वासियों के समस्त सरजमीन पर  
जाकर नापी कर निश्चित सब सीमांकन  
किए। किली के द्वारा कोई क्लामपतिगी  
की जाई। नापी शांति पूरा समाप्त हुआ।  
कल नापी का कारवाय समाप्त की जाई  
है।

उपरोक्त एवं सचेतित।

  
11/07/17  
कंचल अधिकारी,  
नामकुम।

  
11/07/17  
कंचल अधिकारी,  
नामकुम।

सेवा में,

श्रीमान अचल आर्षिकर  
नामकुन, (रांची) ।

विषय : - सीमांकन वाद सं. 41/17-18 का प्रतिवेदन ।

महोदय,

कार्यालय अधिसूचना सं. 52(1) दिनांक 4.7.17 के तहत दिनांक 10.7.17 को भौजा खरसीदाग गया । वहाँ जाकर आवेदक श्री रवि तोपो पिता इनासुध तोपो, साकि - खरसीदाग से सम्पर्क किया । इसके बाद उपरोक्त वाद से सम्बन्धित कागजात कागज अक्लोकन किया । अक्लोकन से पता चला कि आवेदक प्रसंगत भूखे को इम-विम द्वारा वासिल किया है । यह भूखे भौजा - खरसीदाग खरसीदाग, भाग नं - 326 अन्तर्गत खेत नं - 46, लोह नं - 73, रकबा 1.10 ए. है ।

V. V. S  
11/7/17  
C.

प्रसंगत लोह को का. ए. ए. सर्वे नकशा 1932-33 से मिलान किया । इसके बाद भौजा खरसीदाग काप-वासिभो के समस्त सरजमीन पर जाकर नापी कर विवरण एवं सीमांकन कर दिए । नापी के समय किसी ने कोई आपत्ति नहीं की । नापी शांति पूर्वक सम्पन्न हुआ ।

नापी की गई भूखे का एक ड्रेस मैप इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

आतः श्रीमान को धन्यवाद प्रेषित ।


11/7/17  
[Signature]

N  
 नाम मौजा - खरसीदाग शीट नं. 01  
 नाम भागा - रौंघी  
 भागा नं - 326  
 जिला - रौंघी  
 स्केल 16" = 1 माइल  
 सन् 1932-33 बरवी

S संकेत :-  नापी की गड़्डे भूमी लाल को हरा रंग से अंकित है।

मौजा खाल लोट रकबा भूखे बचल रकबा  
 खरसीदाग 46 73 1.10 0.70 ए.

सेफ 40 फी. प्रमी दिग्ग रोड में जका हरा रंग से अंकित है।



*(Signature)*  
 11/7/1933